प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.01.2026

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा जुआ खलते हुए 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से जुआ से सम्बन्धित 12,820/- रुपये व 52 ताश के पत्ते बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 13.01.2026 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर जुआ खलते हुए 05 अभियुक्त 1. कपिल गिरी पुत्र राकेश गिरी निवासी म0नं0 सी 162 गली नं0 06 गगन विहार थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष, 2. राजकुमार पुत्र बदन सिंह निवासी म0नं0 4/52 गौतम गली विश्वास नगर थाना विवेक विहार दिल्ली हाल पता बाबा श्याम इलेट्रीशियन की दुकान गली नं0 09 मैंन 25 फुटा रोड गगन विहार थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष, 3. नरेन्द्र चंदेला पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी लाल गेट वाली गली ग्राम भौपुरा थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष, 4. अमित चंदला पुत्र बाली राम निवासी भौपुरा चौक ग्राम भौपुरा थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष व 5. सुखराम पुत्र धनीराम निवासी गली नं0 05, 20 फुटा रोड गगन विहार थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष को कोयल एन्कलेव बिजली घर के पास से जुआ से सम्बन्धित 12,820/- रुपये व 52 ताश के पत्ते सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण उपरोक्त ज्यादा पैसा कमाने के उद्देश्य से जुआ खेल रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर सभी जुआ खेल रहे अभियुक्तों को पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. कपिल गिरी पुत्र राकेश गिरी निवासी म0न0 सी 162 गली न0 06 गगन विहार थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।
2. राजकुमार पुत्र बदन सिंह निवासी म0न0 4/52 गौतम गली विश्वास नगर थाना विवेक विहार दिल्ली हाल पता बाबा श्याम इलेट्रीशियन की दुकान गली न0 09 मैंन 25 फुटा रोड़ गगन विहार थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष।
3. नरेन्द्र चंदेला पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी लाल गेट वाली गली ग्राम भौपुरा थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 41 वर्ष।
4. अमित चंदला पुत्र बाली राम निवासी भौपुरा चौक ग्राम भौपुरा थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष।
5. सुखराम पुत्र धनीराम निवासी गली न0 05, 20 फुटा रोड़ गगन विहार थाना टीलामोड़ कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

जुआ से सम्बन्धित 12,820/- रुपये व 52 ताश के पत्ते बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना टीलामोड़ पर जुआ अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार,कब्जे से हत्या की घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा बरामद।

घटना का विवरण -दिनांक 13.01.2026 को वादी श्री जहीर पुत्र फय्याज निवासी ग्राम साबित नगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा अभियुक्तगण 1. अकरम पुत्र हाजी जफर 2. निशा पत्नी अकरम द्वारा वादी की धेवती शिफा की पीट-पीट कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना वेवसिटी पर प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना वेवसिटी पर अभियोग अन्तर्गत धारा 103(1) BNS पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु तत्काल दो पुलिस टीमों का गठन किया गया।

कार्यवाही का विवरण -दिनांक 14.01.2026 को थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान तथा मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्तगण (1) अकरम पुत्र हाजी जफर निवासी वार्ड न0-10 वीर अब्दुल हमीद पार्क के पास मोहल्ला बाजीगरान कस्बा डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष (2) निशा पत्नी अकरम निवासी वार्ड न0-10 वीर अब्दुल हमीद पार्क के पास मोहल्ला बाजीगरान कस्बा डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष को IMS कालेज कट से मकदूम शाह की पुलिया डासना पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी का डंडा बरामद किया गया है अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-अभियुक्तगण से पूछताछ पर अभियुक्त अकरम ने बताया कि मेरी पहली पत्नी तराना की मृत्यु अब से करीब तीन वर्ष पहले हो चुकी है, तराना की मृत्यु के एक वर्ष बाद मैने निशा से निकाह कर लिया था, मेरे तीनो बच्चे (फिजा, शिफा, आहिल) पहली पत्नी से ही पैदा है, निशा को शादी के बाद से ही बच्चे नही हो रहे थे इसी कारण मुझे और निशा को तीनों बच्चो से ईर्ष्या होने लगी थी दिनांक 10.01.2026 को शिफा खेलते समय नाली में गिर गयी थी उसके कपडे गंदे हो गये थे तो ईर्ष्या के चलते रात को मैने और निशा ने बेटी शिफा की डण्डे से ज्यादा पिटाई कर दी थी और मैने पिटाई के समय जोर जोर से शिफा के पेट घुँसे मारे थे और तभी गुस्से में हम दोनों ने शिफा को मकान की छत पर ठण्ड में अकेला छोड दिया था। इसी मारपीट की वजह से शिफा की मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अकरम पुत्र हाजी जफर निवासी वार्ड न0-10 वीर अब्दुल हमीद पार्क के पास मोहल्ला बाजीगरान कस्बा डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 32 वर्ष
2. निशा पत्नी अकरम निवासी वार्ड न0-10 वीर अब्दुल हमीद पार्क के पास मोहल्ला बाजीगरान कस्बा डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

- **अकरम**: थाना वेव सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।
- **निशा**: थाना वेव सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी संकलित की जा रही है।

बरामदगी-

- हत्या की घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी का डंडा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम ।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा 315 बोर मय जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 13.01.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र के साथ अभियुक्त समीर पुत्र मौ0 हाशिम निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को सब्लू गढी रोड समाधी के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। उक्त मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना गोकुलपुरी दिल्ली में चोरी का अभियोग पंजीकृत है । बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर सुसंगत धारा- 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि उक्त मोटरसाइकिल मैंने मौका पाकर दिल्ली से चोरी की थी तथा यह तमंचा मैं लोगों को डराने के लिये अपने पास रखता हूँ। मैं उक्त चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में निकला था कि चैकिंग में पकडा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

समीर पुत्र मौ0 हाशिम निवासी अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है । व उक्त मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना गोकुलपुरी दिल्ली पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम ।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 13.01.2026 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त रजनीश उर्फ लम्बू पुत्र चन्द्रपाल निवासी-शहीदनगर थाना साहिबाबाद मूलपता- ग्राम मलियाना थाना टीपीनगर मेरठ उम्र करीब 38 वर्ष को निठौरा गेट के पास भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुयी जिसके संबंध में थाना नन्द नगरी दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है । बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर सुसंगत धारा- 317(2)/317(5) बीएनएस में अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि उक्त मोटरसाइकिल मैंने मौका पाकर दिल्ली से चोरी की थी जिसको मैं बेचने के प्रयास में निकला था कि पुलिस चैकिंग में पकडा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

रजनीश उर्फ लम्बू पुत्र चन्द्रपाल निवासी शहीदनगर थाना साहिबाबाद मूलपता- ग्राम मलियाना थाना टीपीनगर मेरठ उम्र करीब 38 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना नन्द नगरी दिल्ली में उक्त मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना निवाडी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.11.2025 को थाना निवाडी पर वादिया की तहरीर के अनुसार अभियुक्त अदनान द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना, गर्भपात करना तथा धमकी देना जिसके सम्बन्ध में तत्काल धारा-69/89/351(2)/352 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 14.01.2026 को थाना निवाडी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अदनान पुत्र शमीम निवासी ग्राम नंगला मूसा थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को ग्राम शेरपुर गेट के पास भट्टे के सामने से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि पीड़िता से मेरी दोस्ती थी। मैंने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अदनान पुत्र शमीम निवासी ग्राम नंगला मूसा थाना निवाडी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना निवाडी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना निवाडी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा धोखाधडी व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्लाट की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री तैयार कर प्लाट का एग्रीमेन्ट करने के नाम पर रुपये लेने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.06.2025 को थाना लोनी पर वादी शमसाद अली खान निवासी त्यागी मार्केट इदगाह रोड लोनी गाजियाबाद की तहरीर के अनुसार अभियुक्त गण 1.डा0 विरेन्द्र पुत्र हीरालाल 2. पवन शर्मा 3. सीएल शर्मा 4.उमरदराज उर्फ राजू 5. सलीम निवासी नामालूम द्वारा धोखाधडी व जालसाजी करके वादी के प्लाट का फर्जी वसीयतनामा तैयार कर वादिया के प्लाट पर कब्जा करना व धमकी देना जिसके संबंध में तत्काल सुसंगत धारा

420/406/467/468/471/504/506 /120बी भादवि में मुकदमा पंजीकृत किया गया व गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी जिसमें थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.01.2026 थाना लोनी क्षेत्र के चौकी क्षेत्र अशोक विहार से अभियुक्त उमरदराज उर्फ राजू कुरैशी पुत्र तोफिक निवासी मौहल्ला जमालपुर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के अन्य साथियों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैंने अपने साथियों 1.डा0 विरेन्द्र 2 पवन शर्मा 3. सीएल शर्मा 4. सलीम के साथ मिलकर वादी को प्लाट का फर्जी वसीयतनामा तैयार कर प्लाट बेचने के नाम पर रुपये ले लिये थे तथा वादी को रुपये वापस मांगने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

नाम/पता गिरफ्तार अभियुक्त

उमरदराज उर्फ राजू कुरैशी पुत्र तोफिक निवासी मौहल्ला जमालपुर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष

आपराधिक इतिहास

थाना लोनी पर अभियुक्त के विरूद्ध धोखाधडी, जालसाजी व फर्जी वसीयनामा बनाकर प्लाट बेचने का 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम